

मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में अपराधियों की धरपकड़ एवं उन्हें सजा दिलाने हेतु प्रयास तेज

अपराधियों को गिरफ्तार कराने के लिये ईनाम घोषित किये जाने की वर्तमान व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन

लखनऊ: 16 सितम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर प्रदेश में अपराधियों की धरपकड़ एवं उन्हें उनके अपराध की सजा दिलाने हेतु किये जा रहे प्रयासों में और तेजी लायी गयी है। अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए ईनाम घोषित करने की प्रक्रिया में परिवर्तन कर पुलिस विभाग के विभिन्न स्तर के अधिकारियों को अब और अधिकार दिये गये हैं। इसके फलस्वरूप अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी में मदद मिलेगी और उसका असर प्रदेश की अपराध स्थिति के नियंत्रण में भी पड़ेगा।

प्रमुख सचिव, गृह श्री अरविन्द कुमार ने उक्त जानकारी देते हुए आज यहां बताया कि अपराधियों को गिरफ्तार कराने तथा उन्हें दण्डित कराने के लिये सूचना देने पर पुरस्कार दिये जाने की वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था में परिवर्तन कर इसे और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में वर्तमान में चल रही व्यवस्था के अन्तर्गत प्रावधानिक अधिकार काफी पुराने हैं तथा दी जाने वाली अधिकतम पुरस्कार की धनराशि पुलिस कर्मियों का मनोबल ऊचा करने के लिये भी नगण्य है।

शासन द्वारा जारी नये निर्देशों के अनुसार अब प्रमुख सचिव गृह/सचिव गृह विभाग (पुलिस) पांच लाख रूपये तक का ईनाम प्रति अपराधी घोषित कर सकेंगे, जबकि अभी तक उनको ढाई लाख रूपये तक का ही ईनाम स्वीकृत करने का अधिकार था।

नये शासनादेश के अनुसार पुलिस महानिदेशक अब 2.5 लाख रूपये प्रति अपराधी ईनाम घोषित कर सकेंगे जबकि अभी उनके स्तर से 50 हजार रूपये तक का ही ईनाम घोषित किया जा सकता था। अपर पुलिस महानिदेशक जोन/पुलिस महानिरीक्षक जोन को भी अब एक लाख रूपये तक प्रति अपराधी ईनाम घोषित करने का अधिकार शासन द्वारा प्रदान किया गया है।

इसी प्रकार नयी व्यवस्था के अन्तर्गत पुलिस महानिरीक्षक (अपराध)/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र को 50 हजार प्रति अपराधी ईनाम घोषित कर सकेंगे, जबकि अभी तक की प्रचलित व्यवस्था में पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र को 15 हजार तक का ही ईनाम घोषित करने का अधिकार था।

नये शासनादेश के अनुसार अब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद को 25 हजार रूपये प्रति अपराधी ईनाम दिये जाने के अधिकार दिये गये हैं, जो धनराशि अभी तक केवल 5 हजार रूपये थी।

